

सं. 6/1/2017-स्था.(वेतन-1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 11 जून, 2018

कार्यालय जापन

विषय :- राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामेंटों में भागीदारी करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन के रूप में विशेष वेतनवृद्धि प्रदान करना-7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आलोक में।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 को जारी करने के बाद, प्रचलित वेतन बैंडों और ग्रेड वेतनों की प्रणाली को वेतन मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित किया गया है। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 19.09.2013 के का.जा.सं. 6/1/2013-स्था.(वेतन-1) में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामेंटों में भागीदारी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जाने वाली विशेष वेतनवृद्धि की दरों को, इस का.जा. के अनुलग्नक के कालम 5 में दिए गए अनुसार, संशोधित करते हैं।

2. संशोधित दरें तथा ये दिशा-निर्देश 01.07.2017 से लागू होंगे।

3. इस विभाग के दिनांक 19.09.2013 के का.जा. के अनुसार वैयक्तिक वेतन के रूप में विशेष वेतनवृद्धियां पहले से ही प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में भी दरों को इस का.जा. के अनुलग्नक के कालम 5 के अनुसार संशोधित किया गया है। इन सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वैयक्तिक वेतन की दर उस पद के साथ संबद्ध ग्रेड वेतन के आधार पर प्रदान की जानी है जिसमें उन्हें उस खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी करने के समय रखा गया था जिसके लिए वे वैयक्तिक वेतन के रूप में विशेष वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे हैं।

3.1. उदाहरण: (क):

खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी करते समय ग्रेड वेतन	: ₹2000/-
दिनांक 19.09.2013 के का.जा. के आधार पर प्रदान किया गया वैयक्तिक वेतन	: ₹210/-
01.07.2017 से लागू संशोधित वैयक्तिक वेतन	: ₹480/-

3.2. उदाहरण: (ख):

खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी करते समय ग्रेड वेतन	: ₹4200/-
दिनांक 19.09.2013 के का.जा. के आधार पर प्रदान किया गया वैयक्तिक वेतन	: ₹400/-
01.07.2017 से लागू संशोधित वैयक्तिक वेतन	: ₹900/-

4. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो 01.07.2017 को अथवा इसके बाद वैयक्तिक वेतन के रूप में विशेष वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं, वे उस वेतन मैट्रिक्स [कालम (4) में निर्दिष्ट] जिसमें

.....2/-

सरकारी कर्मचारी को खेलकूदों में भागीदारी करते समय रखा गया है, मैं पद के स्तर के अनुरूप, इस का.जा. के अनुलग्नक के कालम (5) में निर्धारित वैयक्तिक वेतन के हकदार होंगे।

4.1 उदाहरण:

वेतन मैट्रिक्स में पद का लेवल, जिसमें सरकारी कर्मचारी को खेलकूद में भागीदारी करते समय रखा गया है

: स्तर 7

इस का.जा. के अनुलग्नक के कालम (5) में लेवल 7 के अनुरूप राशि

: ₹1020

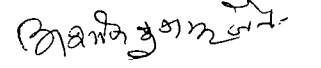
5. इस वैयक्तिक वेतन की गणना किसी भी सेवा संबंधी मामलों जैसे पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति परिलाभों अथवा किसी अन्य भत्तों HRA इत्यादि के लिए नहीं की जाएगी।

6. केंद्र सरकार के हकदार कर्मचारी संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता के समाप्त होने की तारीख से छह माह के भीतर लाभों का दावा करें।

7. मामले को अभिशासित करने वाले अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी और लागू रहेंगी।

8. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है।

9. इस कार्यालय जापन के हिंदी व अंग्रेजी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।



(ए. के. जैन)

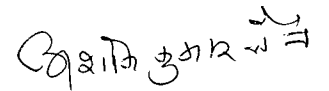
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक।
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
5. सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस अनुभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम (कर्मचारी पक्ष), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद।
9. सभी अधिकारी/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग/पीईएसबी।
10. संयुक्त सचिव (Pers), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।



(ए. के. जैन)

उप सचिव, भारत सरकार

.....3/-

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूद प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने पर वैयक्तिक वेतन की संशोधित दरें, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आलोक में।

क्र.सं. (1)	संशोधित पूर्व वेतन ढांचे (छठे केंद्रीय वेतन आयोग) में ग्रेड वेतन (रु) (2)	दिनांक 19.09.2013 के का.जा. के अनुसार संशोधन पूर्व दरें (रु) (छठे केंद्रीय वेतन आयोग) (3)	वेतन मैट्रिक्स में पद का लेवल (7वें केंद्रीय वेतन आयोग) (4)	संशोधित वैयक्तिक वेतन की दरें (रु) (7वें केंद्रीय वेतन आयोग) 01.07.2017 से लागू (5)
1.	1800	210	1	480
2.	1900	210	2	480
3.	2000	210	3	480
4.	2400	210	4	480
5.	2800	250	5	570
6.	4200	400	6	900
7.	4600	450	7	1020
8.	4800	500	8	1130
9.	5400 (PB-2)	550	9	1240
10.	5400 (PB-3)	550	10	1240
11.	6600	650	11	1470
12.	7600	750	12	1690
13.	8700	800	13	1800
14.	8900	900	13A	2030
15.	10000	1000	14	2250
16.	HAG		15	2250